<u>www.cbi.gov.in</u>

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 04.05.2017

सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के तत्कालीन सचिव, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया और तलाशी ली

सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) के तत्कालीन सचिव, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण ; नई दिल्ली एवं गुड़गॉव स्थित तीन प्राइवेट सुरक्षा फर्मों/ एजेन्सियों (निदेशक/ प्रोत्साहकों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त) के विरूद्ध मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि मनोनयन के आधार पर दिल्ली सरकार के अस्पतालों की सुरक्षा में छः महीने के लिए उक्त तीन सुरक्षा ऐजेन्सियों को लगाने में अनियमितताएँ बरती गई। ऐसा भी आरोप था कि इन सुरक्षा एजेन्सियों की तैनाती में जी.एफ.आर., सी.वी.सी. के दिशा-निर्देशों, व्यापारिक नियमों के समझौते व निविदा प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ एवं यह तैनाती अपारदर्शी तरीके से की गई। इन तीन सुरक्षा ऐजेन्सियों को कथित रूप से मानदण्डों से अधिक के भुगतान सहित अनुचित लाभ दिए गए तथा इस प्रकार,सरकारी खजाने को 10.50 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई।

आरोपी एवं उक्त फर्मों के कार्यालयी व आवासीय परिसरों सहित दिल्ली व गुड़गॉव में आज तलाशी की जा रही है।

आगे की जॉच जारी है।

****